न्यायालय - जिला कलेक्टर, नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विविध प्रार्थना पत्र सं- 16/2019 गणपतराम बनाम अधिशाषी अभियंता वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
12.9.19 (लगातार)	का ही है में अथवा अन्य किसी सरकारी (सार्वजनिक) जगह पर भू–जल वैज्ञानिक की सलाह के आधार पर किये जाने का कथन किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा गुजरों की ढ़ाणी ग्राम हरसोलाव तहसील मेड़ता में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2623 में नलकूप खोदना बताया गया है तथा जलदाय विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर 2623 की भूमि में उनके द्वारा नलकूप नहीं खोदना बताया है। अतः अवैध रूप से नलकूप खोदने वाले व्यक्ति के विरूद्ध प्रशासक केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण नई दिल्ली के पत्रांक–28-2/CGWA/2007-973 Dated 01-10-2007 एवं पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 के तहत तहसीलदार मेड़ता को नलकूप अवैध रूप से खोदे गये नलकूप को नियमानुसार Sealed करने तथा संबंधित दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते है। तहसीलदार मेड़ता को प्रार्थीगण के अभ्यावेदन एवं उक्त पत्र दिनांक 01.10.2007 की प्रति भिजवाई जावें तथा प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर इस न्यायालय के पत्रांक–644–646 दिनांक 16.08.2019 के सन्दर्भ में उंक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाते है। अप्रार्थी संख्या–1 व 2 को सिंगल फेज नलकूप मय डी.एफ.यू. स्थापित करने हेतु शीघ्र स्थान चयनित कर प्रस्तावित कार्य को 15 दिवस में पूर्ण कर रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते है। साथ ही स्थान के खसरा चयन के समय संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी के हस्ताक्षर भी वेधन स्थल चयन रिपोर्ट पर करवाये जावे। इस आदेशिका की प्रति प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर, तहसीलदार मेड़ता एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली दिनांक 30.09.2019 को पेश हो। (दिनेश कुमार यादव) कलक्टर, नागौर	30/9/2019
30.9.19	XEN ~~PWD~~ PHED मेड़ता उप०। S.D.O मेड़ता का पत्रांक राजस्व/19/1485 दिनांक 20.9.19 का अवलोकन किया जो शा.नि.टी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण मे आदेशिका दिनांक 12.9.19 से मा० उच्च न्यायालय के आदेश की पालना के क्रम मे अप्रार्थी सं. 1व2 को निर्देशित किया जा चुका है। अब इस प्रकरण मे इस न्यायालय स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (दिनेश कुमार यादव) कलक्टर, नागौर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.28 11:54:20 IST
Reason: SelfAttested